रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246295
CG-DL-E-05062023-246295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2318] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945
No. 2318] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

विषय: माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का गठन।

का.आ. 2428 (अ).—I. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) की उत्पत्ति: 1. 10वीं योजना के दौरान, मौजूदा बजटीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 01.04.2004 से सभी केंद्रीय करों पर 2% का शिक्षा उपकर लगाया गया था। तदनुसार, 6 अक्टूबर, 2005 को कैबिनेट की मंजूरी के साथ शिक्षा उपकर की आय के लिए एक प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) बनाया गया था।

2. इसके बाद, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की पहुंच का विस्तार करने में केंद्र सरकार के प्रयास को इसी तरह से बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई। केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से, आयकर और अधिभार के 1% की दर से एक अतिरिक्त शिक्षा उपकर लगाया, ताकि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और इसके वित्त प्रबंध के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। 01.04.2018 से, 3% शिक्षा उपकर को स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% आयकर और अधिभार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ताकि वित्त, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। ।

3. 2017 में, सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते में "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके)" नामक गैर-व्यपगत निधि के सृजन को माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी) की आय के लिए निम्नलिखित तरीके से स्वीकृत किया:

i. वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का प्रशासन और रखरखाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

ii. उपकर से अर्जित राशि का उपयोग माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की चालू योजनाओं में किया जाएगा। हालांकि, शिक्षा मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के भविष्य के किसी भी कार्यक्रम/योजना के लिए धन आवंटित कर सकता है।

iii. किसी वित्तीय वर्ष में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की चालू योजनाओं या समय-समय पर यथासंशोधित अन्य योजनाओं पर व्यय प्रारंभिक रूप से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से किया जाएगा और जीबीएस समाप्त होने के बाद ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से व्यय का वित्तपोषण किया जाएगा।

iv. एमयूएसके को भारत के सार्वजनिक लेखा के गैर-ब्याज वाले खंड में आरक्षित निधि के रूप में बनाए रखा जाएगा।

4. मुख्य रूप से एमयूएसके के माध्यम से वित्त पोषित शिक्षा मंत्रालय की चल रही योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग:

(i) समग्र शिक्षा

(ii) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना

(iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

(iv) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)

(ख) उच्चतर शिक्षा विभाग:

(i) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना

(ii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

(iii) स्वायत्त निकायों को अनुदान (यूजीसी, सीयू, आईआईटी, एनआईटी आदि सहित)

तथापि, शिक्षा मंत्रालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के किसी भावी कार्यक्रम/स्कीम के लिए निधियां आबंटित कर सकता है।

II. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का सृजन

5. कैबिनेट ने दिनांक 16.08.2017 को सार्वजनिक खाते के गैर-ब्याज वाले खंड में गैर-व्यपगत आरक्षित निधि के रूप में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) के सृजन को मंजूरी दी, जिसमें माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (31.03.2018 तक लगाया गया) से प्राप्त सभी आय जमा की जाएगी। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा से संबंधित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (01.04.2018 से लगाया गया) का हिस्सा (यानी 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में से 1%) भी एमयूएसके में जमा किया जाएगा।

III. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) के तहत निधियों के उपयोग को शासित करने वाले सिद्धांत

6. (i) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को भारत के सार्वजनिक खाते के गैर-ब्याज वाले खंड में एक गैर-व्यपगत आरक्षित निधि के रूप में बनाए रखा जाएगा। इसका लेखा शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशासित और बनाए रखा जाएगा।

(ii) शिक्षा उपकर की सभी आय अनुदान मांगों के माध्यम से संसद की उचित मंजूरी प्राप्त करने के बाद माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में जमा की जाएगी;

(iii) सकल बजटीय सहायता समाप्त करने के बाद माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष की राशि का उपयोग प्रत्येक वर्ष स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की विभिन्न बजट लाइनों के लिए किया जाएगा।

(iv) आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) की प्राप्तियों से निधि का सृजन और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से होने वाला व्यय एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं।

IV. भारत की संचित निधि से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में निधियों के अंतरण की आवधिकता और तौर-तरीके

7. (i) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (एचईसी) सीबीडीटी द्वारा एकत्र किया जा रहा है और वर्तमान में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष '506 - स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' के तहत भारत की संचित निधि में शामिल है:

1. 0020 – निगम कर
2. 0021 - निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर

(ii) मुख्य लेखा नियंत्रक (सीबीडीटी) मासिक/तिमाही आधार पर शिक्षा मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के संग्रह के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगें।

(iii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा (यानी 4% एचईसी में से 1%) और एमयूएसके के सृजन से संबंधित शिक्षा उपकर के हिस्से को जमा करने के लिए भारत के सार्वजनिक खाते के गैर-ब्याज वाले खंड के रूप में मुख्य शीर्ष "8229 - विकास और कल्याण निधि" के तहत एक लघु शीर्ष "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष" खोला जाएगा।

(iv) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत 'माध्यमिक शिक्षा' और 'उच्चतर शिक्षा' के लिए आवंटन के बीच पारदर्शिता और अंतर सुनिश्चित करने के लिए, दो अलग-अलग उप-शीर्ष अर्थात 'माध्यमिक शिक्षा कोष' और 'उच्चतर शिक्षा कोष' क्रमशः दोनों विभागों द्वारा खोले और संचालित किए जाएंगे।

(v) जीएफआर-70 (2017) के साथ पठित भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम 3(2) के अनुसार, प्रत्येक विभाग के खातों का संकलन केवल उसी विभाग को आवंटित किया जाता रहेगा। इसलिए, एकत्र किए गए 4% एचईसी में से 1% को क्रमशः चालीस: साठ (40:60) के अनुपात में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के बीच विभाजित किया जाएगा और बजट प्रावधान वस्तु शीर्ष "63-अंतर खाता हस्तांतरण" के तहत सार्वजनिक खाते में बनाए गए एमयूएसके को वास्तविक एचईसी के हस्तांतरण की सुविधा के लिए किया जाएगा। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए आवंटित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (जो 4% एचईसी में से 1% है) की आय में हिस्से के बराबर को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा एमयूएसके को

हस्तांतरित किया जाएगा। किसी भी वर्ष में संग्रह और अंतरण के बीच किसी भी बेमेल का पता लगाया जायेगा और उस पर वित्त मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्यकारी/प्रशासनिक निर्णय लिया जाएगा।

8. एमयूएसके खाता दोनों विभागों अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता और उच्चतर शिक्षा विभाग के वित्त खातों में अलग-अलग दिखाई देगा। इस प्रयोजनार्थ दोनों विभागों के अनुदान विभागीय मांग में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बजट का प्रावधान किया जाएगा:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए:

(क) मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 02 – माध्यमिक शिक्षा
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण

उप-शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में स्थानांतरण - माध्यमिक शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष में स्थानांतरण- सामान्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(ख) मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष माध्यमिक शिक्षा कोष में अंतरण
विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष में अंतरण - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(ग) मुख्य शीर्ष 3602 - विधानमंडल वाली केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – माध्यमिक शिक्षा कोष विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष – विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(ii) उच्चत्तर शिक्षा विभाग के लिए:

(क) मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष में अंतरण - सामान्य शिक्षा
(विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(ख) मुख्य शीर्ष 2203 - तकनीकी शिक्षा
लघु शीर्ष 00.797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण

उप-शीर्षxx- माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण -उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष में अंतरण - तकनीकी शिक्षा
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(ग) मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर में स्थानांतरण शिक्षा कोष - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

(घ) मुख्य शीर्ष 3602 – विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx- माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण- उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

9. सीबीडीटी से प्राप्त एचईसी संग्रह के आंकड़ों के आधार पर, आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति से प्रत्येक विभाग (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग) का प्रशासक सार्वजनिक खाते में एमयूएसके के लिए माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा से संबंधित स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (अर्थात् 4% एचईसी में से 1%) के हिस्सा की प्राप्तियों के अंतरण के लिए त्रैमासिक/आवधिक रूप से स्वीकृति आदेश जारी करेगा। स्वीकृति जारी होने पर, वेतन एवं लेखा अधिकारी (एसई एंड एल) और वेतन एवं लेखा अधिकारी (एचई) निम्नलिखित लेखांकन प्रविष्टियां करेंगे:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग:

(i) डेबिट मुख्य शीर्ष: 2202 - सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 02- माध्यमिक शिक्षा
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण- माध्यमिक शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष में अंतरण - सामान्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि
लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष
उप-शीर्ष xx– माध्यमिक शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष -सामान्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)

(ii) डेबिट मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण

उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – माध्यमिक शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष में अंतरण- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि

लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष

उप शीर्ष xx - माध्यमिक शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्षक xx- माध्यमिक शिक्षा कोष - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

(iii) डेबिट मुख्य शीर्ष 3602- विधानमंडल वाली केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण

उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण – माध्यमिक शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष में अंतरण – विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि

लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष

उप-शीर्ष xx– माध्यमिक शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष - विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

उच्चतर शिक्षा विभाग:

(i) डेबिट मुख्य शीर्ष: 2202 - सामान्य शिक्षा

उप मुख्य शीर्ष 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण

उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष में अंतरण - सामान्य शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा)

वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि

लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष

उप शीर्ष xx – उच्चत्तर शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष -सामान्य शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा)

(ii) डेबिट मुख्य शीर्ष 2203 - तकनीकी शिक्षा

लघु शीर्ष 00.797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष में अंतरण - तकनीकी शिक्षा
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि
लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष
उप शीर्ष xx – उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष - तकनीकी शिक्षा

(iii) डेबिट मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx - माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर कोष में अंतरण - राज्य सरकारों के सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि
लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष
उप शीर्ष xx – उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

(iv) डेबिट मुख्य शीर्ष 3602 - विधानमंडल वाली केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 797 - आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण
उप शीर्ष xx माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में अंतरण - उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष - विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
वस्तु शीर्ष 63 - अंतर खाता अंतरण

क्रेडिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधि
लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चत्तर शिक्षा कोष
उप शीर्ष xx – उच्चत्तर शिक्षा कोष
विस्तृत शीर्ष xx- उच्चत्तर शिक्षा कोष - विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)

10. वित्तीय वर्ष के दौरान एमयूएसके में प्राप्तियों के हस्तांतरण में कोई कमी वस्तु शीर्ष "63-अंतरखाता अंतरण" से वित्तीय वर्ष के विस्तृत अनुदान मांगों में प्रदान की जाएगी तथा पहली तिमाही में भारत के सार्वजनिक खाते में एमयूएसके में स्थानांतरित की जाएगी।

11. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग विस्तृत डीएफ़पीआर 1978 के नियम 8 के अनुसार योजनाओं के प्रासंगिक कार्यात्मक शीर्षों के तहत यूएसके से वित्तपोषित किए जाने वाले घटक के लिए अनुदान मांगों के आधार पर आवश्यक बजट का प्रावधान करेंगें जो किसी विशिष्ट योजना पर व्यय करते समय, संबंधित पीएओ संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डेबिट करेगा:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग:

(i) राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना:

(क) मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 02- माध्यमिक शिक्षा
लघु शीर्ष 107 – छात्रवृत्तियां

(ख) 2202.02.789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.02.796 - जनजातीय क्षेत्र संबंधी उप-योजना

(ii) समग्र शिक्षा :

(क) 2202.01.113 - समग्र शिक्षा

(ख) 2202.01.789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.01.796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(घ) मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान

उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

लघु शीर्ष 101 - केंद्रीय सहायता/हिस्सा

(ङ) 3601.06.789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना

(च) 3601.06.796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(छ) मुख्य शीर्ष 3602 विधान मण्डल वाली केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 101 - केंद्रीय सहायता/हिस्सा

(ज) 3602.06.789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(झ) 3602.06.796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

(क) 2202.02.110 – गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए सहायता

(ख) 2202.02.789 – अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.02.796 – जनजातीय क्षेत्र उप योजना

(iv) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)

(क) 2202.02.110 – गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए सहायता

(ख) 2202.02.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.02.796 - जनजातीय क्षेत्र उप- योजना

उच्चतर शिक्षा विभाग:

(i) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना

(क) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप प्रमुख शीर्ष 80 – सामान्य
लघु शीर्ष 107 – छात्रवृतियां

(ख) 2202.80.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.80.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(ii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):

(क) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप प्रमुख शीर्ष 03 – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
लघु शीर्ष 102 – विश्वविद्यालयों को सहायता

(ख) 2202.03.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.03.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(घ) मुख्य शीर्ष 3601- राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 –केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 101- केंद्रीय सहायता/हिस्सा

(ङ.) 3601.06.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(च) 3601.06.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(छ) मुख्य शीर्ष 3602 – विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष 101 – केंद्रीय सहायता/हिस्सा

(ङ.) 3602.06.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(च) 3602.06.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(iii) स्वायत्त निकायों को अनुदान (यूजीसी, सीयू, आईआईटी, एनआईटी आदि सहित)

(क) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप प्रमुख शीर्ष 03 – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
लघु शीर्ष 102 – विश्वविद्यालयों को सहायता

(ख) 2202.03.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(ग) 2202.03.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

(घ) मुख्य शीर्ष 2203 – तकनीकी शिक्षा
लघु शीर्ष 00.112 – इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज और संस्थान

(ड.) 2203.00.789 - अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना

(च) 2203.00.796 - जनजातीय क्षेत्र उप-योजना

12. इस निधि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की व्यय स्वीकृति जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय एमयूएसके में शेष ऋणात्मक न हो अर्थात एमयूएसके में शेष राशि से अधिक व्यय न किया गया हो।

13. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग की विस्तृत अनुदान मांग में निम्नलिखित लेखा शीर्षों के तहत एमयूएसके से पूरी की जाने वाली निधियों की सीमा तक मद शीर्ष "70-कटौती वसूली" के तहत एक समान (ऋण) बजट प्रावधान भी किया जाएगा और कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत एमयूएसके से पूरा किया जाने वाला संपूर्ण व्यय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा एमयूएसके से शीर्षों को एक साथ कटौती करके पूरा किया जाएगा:

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग:

(-) डेबिट

(क) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 02 – माध्यमिक शिक्षा
लघु शीर्ष xxx – कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप मुख्य 01 – कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- माध्यमिक शिक्षा कोष – सामान्य शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा)
मद शीर्ष 70 – कटौती की वसूली

(ख) मुख्य शीर्ष 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 – केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष xxx- कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-शीर्ष 01 – कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोश से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी करना –
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ)
मद शीर्ष 70 – कटौती की वसूली

(ग) मुख्य शीर्ष 3602 – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 – केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष xxx– कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-शीर्ष 01 – कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी करना – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान
मद शीर्ष 70 – कटौती वसूली

डेबिट मुख्य शीर्ष 8229-विकास और कल्याण निधि
लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष

उप-शीर्ष xx– माध्यमिक शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx - माध्यमिक शिक्षा कोष-...(संबंधित कार्यकारी शीर्ष)

उच्चतर शिक्षा विभाग:

(-) डेबिट

(क) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 03 – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
लघु शीर्ष xxx – कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-शीर्ष 01- कटौती की राशि माध्यमिक शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना – सामान्य शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा)
मद शीर्ष 70 – कटौती वसूली

(ख) मुख्य शीर्ष 2202 – सामान्य शिक्षा
उप मुख्य शीर्ष 80 –सामान्य
लघु मुख्य xxx – कटौती की राशि उच्चतर व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-शीर्ष 01- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना - सामान्य शिक्षा (सामान्य)
मद शीर्ष 70 – कटौती वसूली

(ग) मुख्य शीर्ष 2203 – तकनीकी शिक्षा
लघु शीर्ष 00.xxx – कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-मुख्य 01- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना - तकनीकी शिक्षा (सामान्य)
मद शीर्ष 70 –कटौती वसूली

(घ) मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 –केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष xxx- कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-मुख्य 01- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत शीर्ष xx- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना –
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएँ)
मद शीर्ष 70 –कटौती वसूली

(ङ.) मुख्य शीर्ष 3602 – विधानमंडल वाले संघ शासित राज्यों की सरकारों को सहायता अनुदान
उप मुख्य शीर्ष 06 – केंद्र प्रायोजित योजनाएँ
लघु शीर्ष xxx– कटौती की राशि माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
उप-शीर्ष 01- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना
विस्तृत मुख्य xx- कटौती की राशि उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी करना – विधानमंडल के साथ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाएं)
मद शीर्ष 70 –कटौती वसूली

डेबिट मुख्य शीर्ष 8229- विकास और कल्याण निधियां

लघु शीर्ष xxx – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष

उप-शीर्ष xx– उच्चतर शिक्षा कोष

विस्तृत शीर्ष xx - उच्चतर शिक्षा कोष-...(संबंधित कार्यकारी शीर्ष)

14. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, शिक्षा मंत्रालय के तहत पीएओ (एसईएल) और पीएओ (एचई) वर्ष के दौरान प्रारंभिक शेष, सार्वजनिक लेखा में इन निधियों के लिए हस्तांतरित राशि, वर्ष के दौरान आवर्ती व्यय, अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोष आगे प्रेषित करने हेतु उपलब्ध निवल शेष को इंगित करते हुए क्रमश: माध्यमिक शिक्षा कोष और उच्चतर शिक्षा कोष की ब्रॉडशीट रखेंगे।

15. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से आवर्ती व्यय प्रधान सीसीए कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएंडएजी कार्यालय द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन होगा।

[फा. सं. 23011/16/2019-आईएफ.I]

संजोग कपूर, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

Subject: Setting up of Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)

S.O. 2428(E).—I. **Genesis of Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK).—**1. During the 10th Plan, an education cess of 2% on all central taxes was imposed w.e.f. 01.04.2004 to make available additional resources for basic education/elementary education to augment the existing budgetary resources. Accordingly, a Prarambhik Shiksha Kosh (PSK) was created as a receptacle for the proceeds of the Education Cess with the approval of the Cabinet on 6th October, 2005.

2. Thereafter, a need was felt to give a similar fillip to the effort of the Central Government in universalizing access to secondary education and expanding the reach of the higher education sector. The Central Government through the Finance Act, 2007, levied an additional Education Cess @ 1% of income-tax and surcharge so as to fulfil the commitment of the Government to provide and finance the secondary and higher education. W.e.f. 01.04.2018, the 3% Education Cess was replaced by Health and Education Cess @ 4% of income-tax and surcharge so as to fulfil the commitment of the Government to provide and finance, quality health services and universalised quality basic education and secondary and higher education.

3. In 2017, the Government approved the creation of a non-lapsable fund in the Public Account for secondary and higher education called “Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)” as a receptacle for the proceeds of the Secondary and Higher Education Cess (SHEC) in the following manner:

   i. Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh would be administered and maintained by Ministry of Education in accordance with instructions issued by Ministry of Finance from time to time.

   ii. Accruals from the Cess would be utilized in the on-going schemes of Secondary and Higher Education. However, the Ministry of Education can allocate funds for any future programme/scheme of Secondary and Higher Education based on the requirement as per prescribed procedure.

   iii. In any financial year, the expenditure on on-going schemes or any other schemes as amended from time to time, of the Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education would be initially incurred from the Gross Budgetary Support (GBS) and the expenditure would be financed from the Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh only after the GBS is exhausted.

iv. MUSK would be maintained as a Reserve Fund in the non-interest bearing section of the Public Accounts of India.

4. On-going schemes/programmes of Ministry of Education mainly to be funded through MUSK are as following:

(A) Department of School Education & Literacy:

(i) Samagra Shiksha

(ii) National Means-cum-Merit Scholarship Scheme

(iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)

(iv) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)

(B) Department of Higher Education:

(i) Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan (PM-USP) Yojana

(ii) Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA)

(iii) Grants to Autonomous Bodies (Including UGC, CUs, IITs, NITs etc.)

However, The Ministry of Education can allocate funds for any future programme/scheme of Secondary and Higher Education based on the requirement as per prescribed procedure.

II. <u>Creation of Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)</u>

5. The Cabinet approved the creation of Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK) on 16.08.2017 as a non-lapsable Reserve Fund in the non-interest bearing section of the Public Account, into which all proceeds from Secondary and Higher Education Cess (levied up to 31.03.2018) would be credited. Share of Health & Education Cess (levied w.e.f. 01.04.2018) relating to Secondary and Higher Education (i.e. 1% out of the 4% Health & Education Cess) would also be credited to MUSK.

III. <u>Principles governing Utlization of funds under Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)</u>

6. (i) Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh shall be maintained as a non-lapsable Reserve Fund in the non-interest bearing section of the Public Account of India. The account thereof shall be administered and maintained by Ministry of Education, through Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education.

(ii) All proceeds of the Education Cess shall be credited into Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh after obtaining due approval of the Parliament through Demands for Grants;

(iii) The amounts in the Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh shall be utilized for various Budget Lines of Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education each year after exhausting the Gross Budgetary Support.

(iv) The creation of fund out of receipts of Health and Education Cess (HEC) on income-tax and expenditure met from the Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh are independent of each other.

IV. <u>Periodicity and Modality of transfer of funds from Consolidated fund of India to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh (MUSK)</u>

7. (i) The Health and Education Cess (HEC) is being collected by CBDT and presently accounted in the Consolidated Fund of India under a distinct Minor Head ‘506– Health and Education Cess’ below the following Major Heads:

1. 0020 – Corporation Tax
2. 0021 - Taxes on Income other than Corporation Tax

(ii) Pr. Chief Controller of Accounts (CBDT) will furnish the information on collection of Health and Education Cess to the Pr. Chief Controller of Accounts, Ministry of Education on monthly/quarterly basis.

(iii) One Minor head “Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh” under the Major Head “8229— Development and Welfare Funds” as a non-lapsable fund and in the non-interest bearing section of Public Account of India shall be opened for crediting the share of Education Cess relating to secondary and higher education (i.e. 1% out of 4 %HEC) and creation of MUSK.

(iv) In order to ensure transparency and distinction between allocations for ‘Madhyamik Shiksha’ and ‘Uchchtar Shiksha’ under the Department of School Education & Literacy and Department of Higher

Education, two distinct sub-heads viz. 'Madhyamik Shiksha Kosh' and 'Uchchtar Shiksha Kosh' will be opened and operated by the two departments respectively.

(v) As per Government of India (Allocation of Business) Rules 3(2) read with GFR- 70 (2017), the compiling of the accounts of each Department shall stand allocated to that Department only. Therefore, 1% out of the 4% HEC collected will be apportioned between D/o School Education & Literacy and D/o Higher Education in the ratio of Forty : Sixty (40:60), respectively and Budget Provision will be made under object head "63-Inter Account Transfer" for facilitating the transfer of actual HEC collected, to MUSK created in Public Account. An equivalent to the share in proceeds of Health and Education Cess allocated to Secondary & Higher Education (which is 1% out of the 4% HEC) will be transferred to MUSK by D/o School Education & Literacy and D/o Higher Education. Any mismatch between the collections and transfers in any year will be recognized and appropriate executive/administrative decision made thereon by the Ministry of Finance.

8. The MUSK Account will appear separately in the Finance Accounts of both the Departments i.e. School Education & Literacy and Higher Education. For this purpose, the budget shall be provisioned in the Detailed Demand for Grants of Department of both the Departments under the following heads:-

(i) For Department of School Education & Literacy:

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 02 – Secondary Education
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- General Education (Secondary Education)
Object head 63 –Inter Account Transfer

(b) Major Head 3601 – Grants-in-Aid to State Governments
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

(c) Major Head 3602 – Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to UnionTerritory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

(ii) For Department of Higher Education:

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 03 – University and Higher Education
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- General Education (University and Higher Education)
Object head 63 –Inter Account Transfer

(b) Major Head 2203 – Technical Education
Minor Head 00.797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh-Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Technical Education
Object head 63 –Inter Account Transfer

(c) Major Head 3601 – Grants-in-Aid to State Governments
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh

Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

(d) Major Head 3602 – Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

9. On the basis of HEC collection figures received from CBDT, the Administrator in each Department (Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education) with concurrence of the Internal Finance Division will issue quarterly/periodic sanction order for transfer of share of receipts of share of Health and Education Cess relating to Secondary & Higher education (i.e. 1% out of the 4% HEC) to MUSK in Public Account. On issue of sanction, the Pay & Accounts Officer (SE&L) and Pay & Accounts Officer (HE) shall make the following accounting entries:

Department of School Education & Literacy:

(i) Debit Major Heads: 2202 – General Education
Sub Major Head 02- Secondary Education
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- General Education (Secondary Education)
Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx– Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx -Madhyamik Shiksha Kosh-General Education (Secondary Education)

(ii) Debit Major Head 3601 – Grants-in-Aid to State Governments
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account

Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh-Madhyamik Shiksha Kosh

Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)

Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit Major Head 8229- Development and Welfare Funds

Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh

Sub-head xx– Madhyamik Shiksha Kosh

Detailed Head xx- Madhyamik Shiksha Kosh-Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)

(iii) Debit Major Head 3602 – Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature

Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes

Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account

Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh-Madhyamik Shiksha Kosh

Detailed Head xx- Transfer to Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature(Centrally Sponsored Schemes)

Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit Major Head 8229- Development and Welfare Funds

Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh

Sub-head xx– Madhyamik Shiksha Kosh

Detailed Head xx- Madhyamik Shiksha Kosh-Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)

Department of Higher Education:

(i) Debit
Major Heads: 2202 – General Education
Sub Major Head 03- University and Higher Education
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- General Education (University and Higher Education)
Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit
Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx – Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Uchchtar Shiksha Kosh-General Education (University and Higher Education)

(ii) Debit
Major Head 2203 – Technical Education
Minor Head 00.797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Technical Education
Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit
Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx – Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Uchchtar Shiksha Kosh - Technical Education

(iii) Debit
Major Head 3601 – Grants-in-Aid to State Governments
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit
Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx – Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Uchchtar Shiksha Kosh-Grants-in-Aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)

(iv) Debit
Major Head 3602 – Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 797 –Transfer to Reserve Fund/Deposits Account
Sub-head xx –Transfer to Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh- Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Transfer to Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)
Object head 63 –Inter Account Transfer

Credit
Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx – Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Uchchtar Shiksha Kosh-Grants-in-Aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)

10. Any shortfall in transfer of receipts to MUSK during the financial year will be provided in the Detailed Demand for Grants of the subsequent financial year against the object head "63-Inter Account Transfer" and shall be transferred to MUSK in Public Account of India, in the first quarter.

11. The Department of School Education & Literacy and the Department of Higher Education shall make necessary budget provisions in the Detailed Demand for Grants under the relevant functional heads of the schemes as per Rule 8 of DFPR 1978, for the component to be funded from MUSK. While incurring expenditure on a specific scheme, the concerned PAO will debit the relevant functional heads as detailed below:

Department of School Education & Literacy:

(i) National Means-cum-Merit Scholarship Scheme:

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 02- Secondary Education
Minor Head 107 – Scholarships

(b) 2202.02.789 – Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.02.796 – Tribal Area Sub-Plan

(ii) Samagra Shiksha:

(a) 2202.01.113 –Samagra Shiksha

(b) 2202.01.789- Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.01.796- Tribal Area Sub-Plan

(d) Major Head 3601 – Grants-in-aid to State Governments
Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 101 – Central Assistance/Share

(e) 3601.06.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(f) 3601.06.796 - Tribal Area Sub-Plan

(g) Major Head 3602 – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 - Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 101 – Central Assistance/Share

(h) 3602.06.789- Special Component Plan for Scheduled Castes

(i) 3602.06.796- Tribal Area Sub-Plan

(iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)

(a) 2202.02.110 – Assistance to Non-Government Secondary Schools

(b) 2202.02.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.02.796 - Tribal Area Sub-Plan

(iv) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS)

(a) 2202.02.110 – Assistance to Non-Govt. Secondary Schools

(b) 2202.02.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.02.796 - Tribal Area Sub-Plan

Department of Higher Education:

(i) Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan (PM-USP) Yojana

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 80 – General
Minor Head 107 – Scholarships

(b) 2202.80.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.80.796 - Tribal Area Sub-Plan

(ii) Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan(RUSA):

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub-Major Head 03 - University and Higher Education
Minor Head 102 –Assistance to Universities

(b) 2202.03.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.03.796 - Tribal Area Sub-Plan

(d) Major Head 3601-Grants-in-aid to State Governments
Sub Major Head 06 –Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 101- Central Assistance/Share

(e) 3601.06.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(f) 3601.06.796 - Tribal Area Sub-Plan

(g) Major Head 3602 – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 - Centrally Sponsored Schemes
Minor Head 101 – Central Assistance/Share

(h) 3602.06.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(i) 3602.06.796 - Tribal Area Sub-Plan

(iii) Grants to Autonomous Bodies (Including UGC, CUs, IITs, NITs etc.)

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 03 – University and Higher Education
Minor Head 102 – Assistance to Universities

(b) 2202.03.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(c) 2202.03.796 - Tribal Area Sub-Plan

(d) Major Head 2203 – Technical Education
Minor Head 00.112 – Engineering/Technical Colleges and Institutes

(e) 2203.00.789 - Special Component Plan for Scheduled Castes

(f) 2203.00.796 - Tribal Area Sub-Plan

12. It would be ensured before issue of any expenditure sanction against this Fund that at no time the balance in the MUSK be negative i.e. expenditure may not be incurred more than balance in MUSK.

13. An equal (minus) budget provision under object head "70 -Deduct Recoveries" to the extent of funds to be finally met from MUSK will also be made in the Detailed Demand for Grants of Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education, under the following heads of accounts and the entire expenditure to be met from the MUSK under the functional heads will be met by D/o School Education & Literacy and D/o Higher Education from the MUSK by debiting the heads mentioned below, simultaneous to the expenditure:-

Department of School Education & Literacy:

(-) Debit

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 02 - Secondary Education
Minor Head xxx – Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01 – Deduct amount met from Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Madhyamik Shiksha Kosh- General Education (Secondary Education)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(b) Major Head 3601-Grants-in-aid to State Governments
Sub Major Head 06 –Centrally Sponsored Schemes
Minor Head xxx- Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01 – Deduct amount met from Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Deduct amount met from Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(c) Major Head 3602 – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 - Centrally Sponsored Schemes
Minor Head xxx– Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01 – Deduct amount met from Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Deduct amount met from Madhyamik Shiksha Kosh- Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

Debit Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx– Madhyamik Shiksha Kosh
Detailed Head xx -Madhyamik Shiksha Kosh-…(Corresponding functional head concerned)

Department of Higher Education:

(-) Debit

(a) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 03 – University and Higher Education
Minor Head xxx – Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx-Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh-General Education (University and Higher Education)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(b) Major Head 2202 – General Education
Sub Major Head 80 – General
Minor Head xxx – Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub head 01- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx-Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh-General Education (General)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(c) Major Head 2203 – Technical Education
Minor Head 00.xxx – Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh- Technical Education
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(d) Major Head 3601-Grants-in-aid to State Governments
Sub Major Head 06 –Centrally Sponsored Schemes
Minor Head xxx- Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-aid to State Governments (Centrally Sponsored Schemes)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

(e) Major Head 3602 – Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature
Sub Major Head 06 - Centrally Sponsored Schemes
Minor Head xxx– Deduct amount met from Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head 01- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx- Deduct amount met from Uchchtar Shiksha Kosh- Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature (Centrally Sponsored Schemes)
Object Head 70 – Deduct Recoveries

Debit Major Head 8229- Development and Welfare Funds
Minor Head xxx – Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh
Sub-head xx– Uchchtar Shiksha Kosh
Detailed Head xx - Uchchtar Shiksha Kosh-…(Corresponding functional head concerned)

14. The PAO (SEL) and PAO (HE) under the Pr. Chief Controller of Accounts, Ministry of Education, shall maintain the Broadsheet of Madhyamik Shiksha Kosh and Uchchtar Shiksha Kosh respectively indicating the opening balance, amount transferred to these funds in Public Account during the year, expenditure incurred during the year, net balance available for carry forward the same to the next financial year.

15. The expenditure incurred out of the Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh shall be subject to Internal Audit by the Internal Audit Wing of O/o Pr.CCA , Ministry of Education) and the Statutory Audit by O/o the C&AG.

[F. No. 23011/16/2019-IF.I]

SANJOG KAPOOR, Jt. Secy. & Financial Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA